कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

157

प्रा/निगरानी/राजगढ़/भू०रा०/2018/01559

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर शिविर, भोपाल

III ~~पी.बी.आर.~~/नि./राजगढ़/भू.रा./2018/

रमाकांत पंचोली पुत्र स्व0श्री गप्पूलाल पंचोली
निवासी–भेरू दरवाजा, सारंगपुर,
तह0–सारंगपुर, जिला राजगढ़ –––– **निगरानीकर्ता**

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन/सर्वसाधारण –––– प्रत्यर्थी

26/2/18

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–रा. संहिता–1959

महोदय,

निगरानीकर्ता श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्र0क0–379/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2018 जिसके द्वारा माननीय अ0वि0अ0 महोदय, सारंगपुर द्वारा प्र0क0–30/अ–6/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 29.02.2016 एवं श्रीमान तहसीलदार महोदय, सारंगपुर द्वारा प्र0क0–22/अ–6/13–14 में पारित आदेश दिनांक 13.11.2014 स्थिर रखा, से दुःखित एवं असंतुष्ट होकर निम्नानुसार निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य

27/2

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम निहाल में भूमि सर्वे क0–154 रकबा 0.174 हे0 एवं ग्राम गोपालपुरा में सर्वे नं0–60 रकबा 0.454 हे0 भूमि निगरानीकर्ता की बहन स्व0 श्रीमती प्रतिभा दत्त पत्नि स्व0श्री हरि दत्त ब्राह्मण के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज थी, उनके मरणोपरांत निगरानीकर्ता द्वारा वसीयत के आधार पर निगरानीकर्ता का नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें विधिवत समाचार पत्र में भी सर्वसाधारण के लिये प्रकाशन

निरंतर...2...

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0, प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / राजगढ / भूरा / 2018 / 1559

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
18.04.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री मेहरवान सिंह उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 379 / अपील / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29.1.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का संक्षप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम निहाल में भूमि सर्वे कमांक 154 रकबा 0.174 है0 एवं ग्राम गोपालपुरा में सर्वे नं0 60 रकबा 0.454 है0 भूमि निगरानीकर्ता की बहन स्व0 श्रीमती प्रतिभा दतत पत्नि स्व0 श्री हरि दत्त ब्राहम्हण के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज थी । उनके मरणोपरांत निगरानीकर्ता द्वारा वसीयत केआधार पर नामातरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार सारंगपुर द्वारा प्रकरण कमांक 22 / अ–6 / 2013–14 दर्ज कर उसमें आदेश पारित करते हुये आवेदन निरस्त किया। इससे दुखित होकर अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 30 / अ–6 / 2014–15 पर दर्ज हुई, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करते हुये विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये दिनांक 29.2.16 को अपील निरस्त की	

गई। इससे दुखित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त भोपाल के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 379/अपील/2015–16 दर्ज होकर जिसमें दिनांक 29.1.18 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई है। इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेज एवं अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार के न्यायालय में आवेदक द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन दिया गया। तहसीलदार द्वारा वसीयत को संदेहस्पद मानते हुये नामांतरण आवेदन निरस्त किया गया है। जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में लेख किया है कि भूमिस्वामी प्रतिभादत्त की मृत्यु दिनांक 4.1.03 को हो चुकी थी लेकिन वसीयत के आधार पर 11 वर्ष पश्चात नामांतरण करने का आवेदन दिया गया। वह भी वसीयत अपंजीकृत के आधार पर, जिसे तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश अपर आयुक्त भोपाल द्वारा स्थिर रखे गये है, जिससे अपर आयुक्त भोपाल के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य